<u>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)</u>

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 34/2020 दायर दिनांकः 02/03/2020

उनवान

1. कृष्णचन्द आयु 66 वर्ष पुत्र रामगोपाल जाति धाकड़ निवासी केरवालिया तहसील अटरू जिला बारा (राज०)।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट</u>

उपस्थिति :—

प्रार्थीः—विद्वान अभिभाषक श्री हरिश गालव।

आदेश दिनाकः 27/09/2021

पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थी के खाते की आराजी ग्राम केरवालिया तहसील अटरू में खाता संख्या 23 की कुल किता 3 की 0.64 है0 भूमि स्थित है। जिसमें प्रार्थी का नाम कृष्णचन्द लिखा है। प्रार्थी के स्वामित्व एवं खाते की आराजी ग्राम एवं माल सरसोदिया की खात सं. 12 की कुल किता 1 की 0.98 है0 भूमि स्थित है। जिसमें नाम किशनचन्द्र गलती से लिखा गया है। जिसको शुद्ध कर कृष्णचन्द्र नाम किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी के वोटर आई.डी. व आधार कार्ड में भी प्रार्थी का नाम कृष्णचन्द्र पुत्र रामगोपाल ही लिखा है। मात्र ग्राम सरसोदिया के खाता सं0 12 में ही नाम परिवर्तन कर किशनचन्द्र कर दिया गया है। जिसको शुद्ध कर कृष्णचन्द्र किया जाना आवश्यक है। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेंगे।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम सरसोदिया के खाता संख्या 12 में प्रार्थी खातेदार का नाम किशनचन्द्र को दुरूस्त किया जाकर कृष्णचन्द्र रिकार्ड में किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.10.08 12:57:38 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जर्ये सम्मन की गई, अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश न करने के कारण जवाब प्रार्थना पत्र बन्द किया गया। साक्ष्यवादी के तहत **pw 1** से **pw 2** के शपथ पत्र पेश किये गये।

अभिभाषक प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनी, अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा निवेदन किया गया कि विवादित आराजी ग्राम केरवालिया तहसील अटरू में खाता सं0 23 की कुल किता 3 की 0.64 है0 में प्रार्थी का नाम कृष्णचन्द पुत्र रामगोपाल तथा ग्राम सरसोदिया की खाता सं. 12 की कुल किता 1 की 0.98 है0 में प्रार्थी का नाम किशनचन्द पुत्र रामगोपाल के स्थान पर कृष्णचन्द्र पुत्र रामगोपाल दर्ज किया जाना आवश्यक है। रिकार्ड एवं साक्ष्य का अवलोकन किया गया ग्राम केरवालिया तहसील अटरू में खाता सं0 23 की कुल किता 3 की 0.64 है0 में प्रार्थी का नाम कृष्णचन्द पुत्र रामगोपाल दर्ज है तथा ग्राम सरसोदिया की खाता सं. 12 की कुल किता 1 की 0.98 है0 में प्रार्थी का नाम किशनचन्द पुत्र रामगोपाल दर्ज है। अन्य रिकार्ड आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड में प्रार्थी का नाम कृष्णचन्द्र पुत्र रामगोपाल दर्ज है।

रिकार्ड एवं साक्ष्य के आधार पर सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना उचित प्रतित होता है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर. एक्ट न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल केरवालिया तहसील अटरू में खाता सं0 23 की कुल किता 3 की 0.64 है0 तथा ग्राम सरसोदिया की खाता सं. 12 की कुल किता 1 की 0.98 है0 में खातेदार कृष्णचन्द/किशनचन्द पुत्र रामगोपाल के स्थान पर कृष्णचन्द्र पुत्र रामगोपाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें।

निर्णय आज दिनांक 27.09.2021 को द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.10.08 12:57:38 IST
Reason: SelfAttested

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां